# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

**प्रार्थी : श्री गौरव** बनाम **विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड**

**किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम** **पत्रावली संख्या 28/25**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण |
|---|---|
| | दिनांक : 09.06.2025<br>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। पृथक से जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त साबिक आराजी न. 21/3 मी. रकबा 5 बिघा के नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. 159 रकबा 1.0800 है. बने। यह कि नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे में प्रार्थी की भूमि को सड़क की तरफ लम्बाई में गलत तरमीम कर दी जबकि साबिक नक्शे अनुसार व मौके अनुसार तरमीम नहीं की जाकर गलत तरमीम कर दी जिससे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बताया कि प्रार्थी के नाम मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतीदा जमाबंदी संवत् 2049–52 के खाता संख्या 178 साबिक आराजी न. 21/3 मी. रकबा 5.00 बिघा किस्म ए.सा. तृतीय लगानी 1.87 रू. अंकित थी। ग्राम वरनोदा के साबिक आ.न. 21/3 मी. के नवीन संटलमेंट के बाद नये आराजी न. 159 क्षै. 1.0800 है. बने जो कि गौरव पुत्र योगेन्द्रकुमार हिस्सा पूर्ण जाति जैन सा. भीण्डर के नाम दर्ज हुआ है। नवीन सेटलमेंट के बाद हाल–खसरा सं. 159 को सेटलमेंट विभाग द्वारा गत नक्शा के अनुसार तरमीम न कर भीण्डर पाणुन्द सड़क के समानान्तर लम्बा संलग्न नक्शा ट्रेस–बी के अनुसार तरमीम कर दिया गया है। ग्राम वरनोदा प.म. मोतीदा के साबिक आ.न. 21/3 मी. रकबा 5.00 बिघा भूमि का नवीन सेटलमेंट में मिलान खसरा पत्र अनुसार खसरा संख्या 159 क्षै. 1.08 है. बना जिसका नक्शे में तरमीम गत नक्शे के अनुसार नहीं कर सड़क के सहारे लम्बा तरमीम कर दिया जो गत नक्शे से मिलान नहीं करती है। उक्त आराजी का तरमीम संलग्न प्रस्तावित नक्शा प्रति–सी के अनुसार होना था जिसमें नवीन खसरा संख्या 159 के उत्तरी दिशा में 0.2900 है. भूमि जो लाल रंग से दर्शायी गयी है को बिलानाम में दर्ज कर खसरा संख्या 159 के पश्चिम दिशा में इसी आराजी के सहारे 0.29 है. भूमि बिलानाम खसरा न. [illegible] क्षै. 2.8100 है. में से प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज कर उक्त खसरे को खसरा न. 159 के सहारे पश्चिमी दिशा में तरमीम किया जाना है जो की संलग्न नक्शा प्रति–सी में पीले कलर से दर्शाया गया है। तहसीलदार कानोड द्वारा साबिक नक्शा शीट अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:25:01 IST
Reason: SelfAttested

खसरा न. 159 रकबा 1.08 है. में से उत्तरी दिशा में रकबा 0.29 है. भूमि बिलानाम कर इतना ही रकबा 0.29 है. भूमि बिलानाम खसरा न. 157 रकबा 2.81 है. में से कर प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर संलग्न नक्शा शीट–सी के अनुसार तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से हमने पाया कि जमाबंदी संवत् 2049–52 आराजी नं. 21/3 रकबा 5 बिघा सम्पुर्ण रामेश्वर पिता रामकुंवर मून्दडा की बिकाव प्रार्थी गौरव पिता योगेन्द्र के नाम दर्ज हुई। मिलान खसरा से साबिक आराजी 21/3 के नये आराजी न. 159 रकबा 1.0800 है. बने जो कि प्रार्थी गौरव पुत्र योगेन्द्रकुमार के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि नवीन सेटलमेंट बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजी की तरमीम साबिक नक्शे के मुकाबले नही कर सडक की लम्बाई में गलत तरमीम कर दी है। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में किया है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी की नक्शे में तरमीम गत नक्शे के अनुसार नहीं सड़क के सहारे लम्बा तरमीम कर दिया गया है जो गत नक्शे से मिलान नहीं करता तहसीलदार कानोड द्वारा तरमीम शुद्धि हेतु नक्शा ट्रेस–सी प्रस्तावित किया।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्र भूमि की तरमीम साबिक नक्शे के अनुसार नहीं कर गलत कर दी गई है। तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पा जाता है।

## –:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनि का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतीदा तहसील कान जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की आराजी न. 159, 157 की तरम तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तावित (संलग्न) नक्शा ट्रेस–सी अनुसार किये जाने आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जा पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:25:01 IST
Reason: SelfAttested